IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

छत्तीसगढ़ राज्य से आदिवासियों का पलायन: एक अध्ययन

[1]आरती राठौर, [2]डॉ. राजभानु पटेल
[1]शोधार्थी, [2]सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

सारांश: भारत में आदिवासियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है जो निम्न समाजिक-आर्थिक स्थिति वाले भगौलिक दृष्टि से अलग-थलग क्षेत्र में रहते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों के बारे में समीक्षा किया गया है। जिसमें आदिवासियों के विषय में संक्षेप में वर्णन किया गया है इसमें बताया गया है की किस कारण से छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग निरंतर पलायन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में देश के कुल अनुसूचित जनजाति की 7.48% आबादी निवास करती है। अनुमान है कि भारत में लगभग 10 करोड़ लोग अल्पकालिक प्रवास करते हैं इस पत्र में प्रवास के उन कारकों का वर्णन किया गया है जिससे प्रभावित होकर आदिवासी अपने बेहतर आजीविका, बेहतर जीवन गुणवत्ता, रोजगार, आदि के तलाश में अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य बड़े शहरों एवं कस्बों की ओर चले जाते हैं। आदिवासियों के पलायन का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में सिंचाई का अभाव, गरीबी और कर्ज, शिक्षा और रोजगार, सुरक्षा का आभाव तथा पुरुषों एवं महिलाओं का विवाह आदि शामिल है जो आदिवासियों को पलायन करने को मजबूर करती है और इसका परिणाम सामाजिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक स्तर पर पड़ती है जिससे जनसँख्या पर दबाव, मलिन बस्तियों का निर्माण, रोजगार के अवसर में कमी, मानव तस्करी, और अपराधिक गतिविधियों का बढ़ जाना, पलायन के कारण श्रमिकों की नौकरी, घर, शिक्षा, नौकरी एवं अन्य सुविधाओं के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। इस प्रकार से और इसमें किसी भी राज्य के विकास की प्रक्रिया में आतंरिक प्रवास महत्वपूर्ण होता है। पलायन मानव सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। जो की सामाजिक प्रणाली के भीतर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया से सम्बंधित है। और प्रवास के सुधार के लिए सरकार का दिशा निर्देश की आवस्यकता है इस प्रकार से यह शोध अध्ययन पलायन के कारण एवं परिणाम का महत्वपूर्ण अध्ययन है।

शब्द कुंजी: आदिवासी, पलायन, आजीविका, रोजगार, विकास, कृषि।

I. परिचय:

भारत एक विकासशील देश है और देश के सर्वांगीण विकास के लिए जनजातियों (जिनकी हमारे देश में बहुलता है) की सामाजिक, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। भारत में लगभग 550 प्रकार की जनजातीय पाई जाती हैं जिसमें गोंड, भील, संथाल आदि प्रमुख जनजाति हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 40 लाख से भी अधिक है। आदिवासी देश की कुल आबादी का 8.6% और देश के क्षेत्रफल के करीब 15% भाग पर निवास करती है (जनगणना 2011)। आदिवासी की अधिकांश आबादी पूर्वी मध्य और पश्चिमी पट्टी में संकेंद्रित है। जो नौं राज्यों छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आँध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लगभग 12% दक्षिणी भाग में 50% और उत्तरी राज्यों में लगभग 3% जनजाति निवास करती हैं।

पूर्व काल से ही छत्तीसगढ़ राज्य को आदिवासियों का स्थान माना गया है जिसमें राज्य के अधिकांश क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाके हैं और यहाँ कई जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में देश के कुल अनुसूचित जनजाति की 7.48% आबादी निवास करती हैं। छत्तीसगढ़ से पलायन मुख्य रूप से सूक्ष्म गरीबी और अंतर्निहित राजनितिक स्थिरता से प्रेरित है। राज्य के सूखा प्रवण क्षेत्रों, अन्य क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं का लगातार प्रवाह दर्ज किया गया है। इसी तरह नक्सलियों की उपस्थिति ने आबादी के लिए समस्याएँ बढ़ा दी है। वे सरकार और नक्सलियों के गोलीबारी में फंस जाते हैं। और उन्हें आजीविका के वैकल्पिक अवसरों की तलाश में जबरन बाहर जाना पड़ता है। सभी उम्र के बीच मुख्य रूप से रोजगार के अवसरों और शिक्षा की संभावनाओं के लिए राज्य में युवाओं का प्रवास अधिक है। अंतर्राज्य सहित प्रवासियों की कुल संख्या 6,784,937 व्यक्ति है (जनगणना 2001)। लिंग के अनुसार महिला प्रवासन मुख्य रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक है हालाँकि जनगणना रिपोर्ट में महिलाओं के उच्च प्रवास को विवाह सम्बन्धी कारणों से होने के रूप में वर्णित किया है।

अनुमान है कि भारत में लगभग 10 करोड़ लोग अल्पकालिक प्रवास करते हैं। आमतौर पर मौसमी प्रवास करने वाले अधिकांश लोग अदिवासी समुदाय के होते हैं। जो निर्माण स्थल, कारखाना, होटल, और अन्य ऐसे उद्योगों में अस्थाई, अनौपचारिक मजदूर को के रूप में काम करते हैं जहाँ रोजगार के मौके उपलब्ध करने में क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वही श्रमिकों को काम के ऐसे माहौल में जोखिम और अधिक शारीरिक ताकत वाले काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। आदिवासी समुदायों का पलायन देश के प्रमुख समस्या के रूप में उभरी हैं मजबूरी मे पलायन करने के लिए बाध्य आदिवासी अपने घर परिवार और भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर जाने को बाध्य हो रहे हैं अधिकांश खेती एवं कृषि पर निर्भर होते हैं। इस तथ्य को इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ दशकों में विकास की गति में इस कदर परिवर्तन हुआ है की जिन बदलाव के लिए कई साल लगे, वही बदलाव कुछ ही दशकों में संभव हो गयी है।

बढती हुई आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटी जोतों से अधिक पैदावार लेने के विधि लगातार तैयार की हा रही हैं जिसमें सीमित संसाधनों के उपयोग द्वारा अधिक फसल लिया जा सके आदिवासी समुदायों की सम्पन्नता मुख्यधारा की तुलनात्मक अंदाज से कम करके जाने लगी हैं उन्हें अपने जीविकापार्जन के लिए अन्य स्त्रोतों पर निर्भर होने की आवश्यकता पड़ी, आदिवासियों के बीच शिक्षा का प्रचार -प्रसार का सही स्वरुप नहीं होने के कारण शिक्षा का सही प्रभाव नहीं पड़ा। जाहिर है की शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार का सिलेबस तैयार करती है इससे आदिवासियों की कृषि और जंगल आधारित

आर्थिक व्यवस्था को सीधे रूप से कोई फायदा नही पंहुचाता ऐसे शिक्षित आदिवासियों को जीविका के लिए पलायन करने की नौबत आती है।

आदिवासी भू-भागों में पाए जाने वाले खनिजों के दोहन से आदिवासी समाज के सामने विकराल समस्या के रूप में उभरी हैं अगर उनके लिए कोई जगह है तो वह एक अकुशल श्रमिक के रूप में इसलिए ऐसे क्षेत्रों से पलायन के लिए बाध्य हो जाते हैं राज्य के दक्षिणी भागों के अदिवासी प्रवास को एक लम्बी आजीविका रणनीति मानता है। प्रवासी श्रमिकों की भर्ती मूलरूप से स्थानीय एजेंटों द्वारा संगठित किया जाता है। जिन्हें 'मुक्कदम' के नाम से जाना जाता है। प्रवासी मजदूरी के आभाव में छूटे हुए उनके परिवार की मदद करने के लिए उन्हें आग्रिम नकद राशि प्रदान करते हैं। प्रवासी श्रमिक भी इस दौरान कुछ जरूरतों एवं यात्रा को पूरा करने के लिए आग्रिम नकदी का उपयोग करते हैं नकद राशि की प्रतिपूर्ति प्रवासियों के वेतन के माध्यम से किस्तों में की जाती है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं आश्रय के आसान पहुँच के बिना आस-पास के जगहों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। महिला प्रवासी और बच्चे बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और ऐसी परिस्थितियों में उन्हें कई परेसानियों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन में पाया गया है कि प्रवासी कारखानों में मजदूर के रूप में, घरेलु नौकर, बस ट्रक क्लीनर, रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी करने वाले छोटे व्यापारी, ईंटे भठठों में दिहाड़ी मजदूरी के काम करते हैं। पलायन प्रवासियों को उनकी बेरोजगारी को कम करने, भिखारी, गरीबी, को रोकने में मदद करता है इन सब के अलावा प्रवास के नकारात्मक प्रभाव जैसे सामाजिक और संस्कृतिक पहचान में कमी, सुरक्षा, श्रम की तीव्र कमी जैसे प्रभाव होते हैं।

II. शोध अध्ययन के उद्देश्य:

प्रस्तुत किए गए शोध पत्र में अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों के पलायन का अध्ययन करके पलायन के कारण एवं परिणामों का अध्ययन करना है।

III. शोध प्राविधि

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ से आदिवासियों का पलायन के कारण, समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन है। प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक है प्रस्तुत शोध पत्र की उद्देश्यों की पूर्ति द्वित्तियक आंकड़ो पर आधारित है द्वितीयक आंकडें मुख्य रूप से शोध पत्रिकाओ, शोध ग्रंथो, वार्षिक पत्रिका, वार्षिक प्रतिवेदन प्रवास पर अधिकारिक प्रतिक्रिया और परिप्रेक्ष्य, आदिवासी कल्याण विभाग, राष्ट्रीय जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और सांख्यकीय, और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय द्वारा प्रकशित चयनित आंकड़ो का रिपोर्ट शामिल हैं।

IV.प्रवास परिदृश्य:

तालिका 1: भारत में दशकों से प्रवासियों की संख्या

दशक	प्रवासी (लाखो में प्रतिशत)
1951-61	144.8 (33%)
1961-71	166.8 (30%)
1971- 81	203.5 (30.6%)
1981-91	230 (27%)
1991-2001	307 मिलियन (30%)
2001-2011	453.6 मिलियन (37.8%)

स्त्रोत: भारत की जनगणना , 2001 और 2011 डी सीरीज प्रवासन तालिका

प्रवासन एक सदियों पुरानी प्रथा है लेकिन ये विभिन्न कारणों से कई दशकों से यह तेज गति से बढ़ने लग गया है, हाल वर्षो में यह देखा गया है की भारत में प्रवासन की दर बढ़ रही है 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार 453.6 मिलियन जनसँख्या प्रवासी है। तालिका1. उपरोक्त आंकड़ो से पता चलता है कि पिछले दशक के दौरान एक तिहाई लोगों ने प्रवास किया था।

छत्तीसगढ़ और आदिवासी सांस्कृतिक दो तात्विक शब्द है। राज्य के एक तिहाई आबादी में आदिवासी का वर्चस्व है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या 78.22 लाख है (जनगणना 2011) । जो राज्य का कुल जनसँख्या कुल आबादी का 31% है इसका 9.7%हिस्सा ग्रामीण प्रकृति का है राज्य में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर 52.10% है जो राष्ट्रीय औसत 47.10% से अधिक है लगभग 80-90% परिवार साल में 6-8 महीने अजीविका के तलाश में पलायन करते हैं।

तालिका 2: छत्तीसगढ़ में लिंग-वार प्रवास (लाख में)

लिंग	इंट्रा - राज्य	अंतर - राज्यीय
पुरूष	6.58	2.22
महिला	8.64	2.38

स्त्रोत :जनगणना, 2001

तालिका 3: छत्तीसगढ़ में प्रति हजार प्रवासन की दर (गंतव्य -वार)

लिंग	ग्रामीण	शहरी
पुरूष	70	330
महिला	531	590

स्त्रोत :जनगणना, 2001

उपरोक्त तालिका 2 और 3 की संख्याओ से पता चलता है कि महिला प्रवासन दर मुख्य रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक है हांलाकि जनगणना रिपोर्ट में महिलाओ के उच्च प्रवास को विवाह सम्बन्धी कारणों के रूप में वर्णित किया गया है (shram.org) ।

तालिका 4: छत्तीसगढ़ में अस्थायी और मौसमी प्रवास में ग्रामीण शहरी अंतर (15-64 वर्ष की आयु)

ग्रामीण	4/1000
शहरी	21/1000

स्त्रोत: एन एस एस ओ 2007-2008

तालिका 5: छत्तीसगढ़ में अस्थायी और मौसमी प्रवास

	सभी उम्र	**15-64 वर्ष**
प्रवासियों की कुल संख्या	329700	262700
अस्थायी प्रवास की दर	14.3/1000	18.5/1000

स्त्रोत: एन एस एस ओ 2007-2008

लम्बी दूरी की तुलना में कम दूरी का प्रवास अधिक स्पष्ट होता है अध्ययन से पता चलता है कि युवा मुख्य रूप से रोजगार और शिक्षा के लिए आस-पास क शहरो में प्रवास करते हैं। अधिकांश प्रवास अस्थायी और मौसमी प्रकृति का होता है इस प्रकार से उपरोक्त तालिका में छत्तीसगढ़ में स्थायी और मौसमी प्रवास को दर्शाया गया है जिसमें सभी उम्र के प्रवासियों की कुल संख्या 329700 है जबकि 15-64 वर्ष वालों की प्रवासियों की संख्या 262700 है इसी प्रकार अस्थायी प्रवास की दर सभी उम्र वालों में 1000 व्यक्तियों में 14.3 व्यक्ति है तथा 15-64 वर्ष वालों में 18.5 व्यक्ति है मतलब है कि 15-64 वर्ष के लोग अधिक प्रवास करते हैं (shram.org)।

V. पलायन के कारण:

1. **कृषि सिंचाई का आभाव -**आदिवासी में पालयन की प्रवृत्ति का मुख्य कारण जनसंख्या में कृषि सिंचाई का आभाव है मध्यप्रदेश से विभाजन होने से पूर्व से ही छत्तीसगढ़ अंचल को भारतवर्ष के मानचित्र में धान के कटोरे के रूप में विख्यात है। अपनी विशिष्ट आंचलिक विशिष्टताओं के लिए छत्तीसगढ़ अनूठे प्रदेश के रूप में प्रतिष्ठित रहा है आदिवासी आबादी का 80% ग्रामीण हैं और ज्यादातर लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। एवं छत्तीसगढ़ अंचल में सिंचाई सुविधाओं की बुनियादी कमी एवं अन्य आवश्यक संसाधनों का आभाव होता है। पूरे वर्ष में एकमात्र धान की खेती कर पाते है यद्दपि वर्तमान के परिवेग्य में नलकूप, नहर, कुआँ, तालाब, और सिंचाई संसाधनों की वृध्दि हुई है किन्तु अभी भी आबादी का बहुत बड़ा वर्ग धान की खेती के लिए प्रकृतिक वर्षा पर निर्भर रहते हैं और इसलिए धान के खेती के बाद मजदूर जनवरी-मई माह के बीच में काम (मजदूरी) करने के लिए नगरो एवं शहरों में पलायन कर लेते हैं।

2. **भूमि अलगाव -** जनजातियों के बीच भूमि अलगाव का इतिहास ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान शुरू हुआ। जब ब्रिटिश प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करते थे। इनके साथ-साथ आदिवासियों की भूमि पर जमींदारों और व्यापारियों द्वारा उन्हें ऋण देकर कब्ज़ा के लेते थे। आदिवासियों के आवासों के बीच खदाने खोलना और यह तक की मजदूरी के साथ-साथ कारखाने में काम के अवसर प्रदान करते, और इससे बढती हुई विस्थापन और बर्बादी का उदय हुआ सरकार का झुकाव मानव के बजाए व्यवसायिक विचारों की ओर अधिक था। देश के 10 लाख आदिवासियों से जमीं छीनकर कारोबारियों को दे दी गई। छत्तीसगढ़ समेत आठ राज्यों में आदिवासियों और ग्रामीणों के विरोध के बावजूद उनकी भूमि कारोबारियों को दे दी गई यह खुलासा इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट में हुआ (पत्रिका.कॉम 10 मार्च 2022)।
3. **गरीबी और कर्ज -**अधिकांश जनजातियां गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करती हैं जनजातीय कई सरल व्यवसाय का पालन करते हैं। जो सरल प्रौद्योगिकी वाले होते हैं जैसे शिकार, फल-फूल इकठ्ठा करना और कृषि सबसे आदिम प्रकार है आदिवासियों में से अधिकांश जमींदारों एवं साहुकारों के चंगुल में फंसे होते हैं। और उनके कर्ज चुकाने के लिए कहीं उनको अपनी भूमि, तो कुछ और की गिरवी रखनी पड़ती है। दिए हुए कर्ज का ब्याज दर इतना अधिक होता है कि उसकी वजह से गरीब लोग गरीबी में पैदा होते हैं। और उनकी पूरी जीवन संघर्ष से चलता है और वो लोग गरीबी में मर जाते है और इस कर्ज को चुकाने के लिए परिवार में से कई लोग बाहर रोजगार के अवसर के लिए चले जाते हैं।
4. **शिक्षा एवं रोजगार -** शैक्षिक रूप से आदिवासी आबादी विकास के विभिन्न स्तरों पर है लेकिन कुल मिलाकर औपचारिक शिक्षा ने आदिवासी समूहों पर बहुत प्रभाव डाला है। पहले सरकार के पास उनकी शिक्षा के लिए कोई सीधा कार्यक्रम नहीं था लेकिन बाद के वर्षो में आरक्षण नीति में बदलाव किये गए, शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव के बाद, जागरूक होने के बाद आज शिक्षा के महत्त्व को समझने लगे हैं और बच्चों की शिक्षा बढ़ रहे है परन्तु फिर भी आदिवासियों में ये अनुपात कम है। सरकार द्वारा आवासीय स्कूल खोला जा रहा है जिसमें बच्चों की संख्या बढ़ रही है बच्चे स्कूल, कॉलेज, और अच्छी शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं और शहरों और कस्बों की ओर बढ़ रहे हैं।
5. **सुरक्षा का आभाव –** छत्तीसगढ़ में पलायन की प्रवृत्ति अधिक है अधिकांश आदिवासी आबादी सिर्फ बस्तर संभाग में निवास करते हैं आदिवासी आबादी का लगभग 52% गरीबी रेखा के नीचे है और 54 % आदिवासियों की आर्थिक संपदा जैसे संचार, परिवहन तक कोई पहुच नही है प्रवास के मुख्य कारण नक्सलवाद है। बस्तर संभाग में हिंसा, राज्य के कुल नक्सल गतिविधियों का लगभग 90% है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में रहने वाली गोंड जनजातीय की है। और उनमें से अधिकांस गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं स्थानीय आबादी, विशेष रूप से बस्तर, दंतेवाडा और बीजापुर जिलों में अक्सर सुरक्षा एजेंसियों के और नक्सलियों के गोलीबारी के बीच में फंस जाती है नक्सलियों को उन पर पुलिस का मुखबिर होने का संदेह है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नक्सलियों से सहानुभूति रखते हैं। और इस प्रकार प्रतिशोध के हमले आम है और इस लड़ाई में आम जनता के ऊपर खतरा रहता है और इस कारण अधिकांश आदिवासी सुरक्षा के आभाव

अपनी आजीविका का निर्वहन नही कर पाने के कारण दूसरे शहरों एवं कस्बों की ओर पलायन करते हैं।

6. **विवाह** -आदिवासियों में पलायन का एक अन्य कारण विवाह होता है। महिला विवाह होने के बाद एक स्थान को छोड़ कर दूसरे जगह चले जाते हैं। इस प्रकार से प्रवास के आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण कारण होते हैं। जो किसी समय विशेष में किसी निश्चित जगह में रहने वाली आदिवासियों आबादी को एक स्थान छोड़ कर दूसरे अन्य स्थान पर रहना पड़ता है।

तालिका 6: छत्तीसगढ़ में पलायन के कारण के आधार पर पलायान

पलायन के कारण	**संख्या**
रोजगार	1,021,077
व्यापार	33,116
शिक्षा	1,34,629
विवाह	5,062,975
जन्म के बाद पलायन	3,36,873
परिवार के साथ पलायन	1,442,800
अन्य	8,56,605
कुल	**8,888,075**

स्त्रोत: भारत की जनगणना, 2011 डी सीरीज प्रवासन तालिका

छत्तीसगढ़ के आदिवासी उपरोक्त कारकों के कारण पलायन करते हैं। तथा 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 8,888,075 लोग अपने मूल स्थान को छोड़ कर दूसरे शहरों एवं कस्बों में चले जाते हैं। इस प्रकार से सबसे अधिक प्रवास का कारण विवाह है जबकि सबसे कम प्रवास व्यापार के लिए होता है इसके अलावा अन्य कारणों से पलायन करने वालों की संख्या 8,56,605 है।

VI. आदिवासी समुदाय के पलायन के परिणाम

आदिवासी समुदाय के पलायन के नकारात्मक एवं सकारात्मक परिणाम होते हैं। जनसान्खिकीय प्रवासन से मूल क्षेत्र की जनसँख्या में कमी होती है जबकि गंतव्य स्थान की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी होती है। जनसँख्या के इस मात्रात्मक परिवर्तन के गुणात्मक परिवर्तन अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रवास प्रक्रिया से सभी जनसान्खिकीय लक्षणों (यथा घनत्व वृद्धि, आयु, लिंग, उत्पादकता, शिक्षा आदि) में परिवर्तन होता है। प्रवासन मुख्य रूप से आयु लिंग व तकनीकी कौशल पर निर्भर करता है और यह प्रवासीय प्रवृत्ति प्राय: नवयुवकों में अधिक परिलक्षित हुई है। गंतव्य स्थान पर आजीविका हेतु जाने वाले प्रवासियों को बहुत सारी परेसानियों का सामना करना पड़ता है और समायोजन हेतु अपेक्षाकृत वहां जनसँख्या अधिक उपयुक्त होती है प्रवासन में आयु व लिंग संबंधी अनुपात में अंतर देखा जा सकता है गंतव्य स्थान पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के अनुपात में वृद्धि हो जाती है इसके विपरीत जनन स्तर पर महिलाओं और वृद्ध लोगों के अनुपात में वृद्धि हो जाती है मूल क्षेत्र से तकनीकी रूप से कुशल लोगों व दक्ष लोगों के पलायन के कारण वहां की गुणवत्ता का पलायन होता है।

सामाजिक व सांस्कृतिक प्राय: लोग रोजगार और आजीविका हेतु शहरों की ओर पलायन करते हैं जिस मात्रा में लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, उस मात्रा में शहर की आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं हो पाता इसका परिणाम यह होता है की वहां रोजगार के अवसर में कमी हो जाती है जिससे समाज कल्याण, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन आदि की सुविधाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ने लगता है इसके कारण शहर में मलिन बस्तियों में वृद्धि होने लगती है और अपराधिक प्रवृत्तियो में भी बढ़ोत्तरी होती है इसके अलावा शहर में भीड़ व बेरोजगारी की संख्या में इजाफा होने लगता है। प्रवासी व्यक्ति की अपनी संस्कृति व सभ्यता होती है, जिसे वह गंतव्य स्थान पर भी लेकर आता है चूँकि शहरों में भूमि के आभाव के कारण कई संस्कृतियों व क्षेत्रों और कई धर्मो, जातियों, सम्प्रदायों, मतों के लोग एक साथ रहते हैं जिसके कारण आए दिन द्वेष कलह आदि की घटनाएं घटती है।

आर्थिक प्रवासन के कारण मूल व गंतव्य स्थानों में जनसँख्या व संसाधनों से संबधित क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। प्रवासी लोग अपने परिवार को अपनी आय का कुछ भाग भेज देते हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति उन्नति होती है। पलायन के दौर पर पारिवारिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यस्क बच्चों एवं बुजुर्गो को घर एवं पशुओं की देख रेख करने के लिए छोड़ कर जाया जाता है। जबकि अवयस्क बच्चों की शिक्षा को रोककर उन्हें दूधमुहे बच्चों की देखभाल करने के लिए साथ ले जाया जाता है। और इसका गंभीर दुष्परिणाम सामाजिक स्तर पर पड़ता है अभिवावकों के आभाव में छोड़े गये व्यस्क बच्चे दुव्रसयन एवं अपराधिक मनोवृति के शिकार हो जाते हैं ज्यादातर परिवारों का पलायन धान कटाई के बाद और वापसी जून के माह में होता है इनमे कई परिवार के शिशु गंभीर बिमारिओं के शिकार होते हैं। इससे गंतव्य स्थानों पर श्रमिकों की नौकरी, घर, स्कूल, एवं अन्य सुविधाओं के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाता है।

बुनियादी ज्ञान और जीवन कौशल में कमी के कारण निरक्षर और कम कुशल न केवल नौकरियों के लिए अनुपयुक्त हैं, बल्कि महिला प्रवासियों के मामले में शोषण, तस्करी, मनोवैज्ञानिक शोषण, और लिंग आधारित हिंसा होने की सम्भावना होती है।

VII. सुझाव:

आदिवासी पलायन को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक है। आदिवासी क्षेत्रों के आस-पास ही रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा की आधुनिकतम व्यवस्था कराई जाए जिससे उन्हें प्राथमिक उपचार, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व जीविकोपार्जन के लिए दूसरे शहर, कस्बों में जाने की आवश्यकता न पड़े आदिवासियों के सतत विकास के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है कई नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए गए है परन्तु इनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होने के कारण विकास नही हो पा रहा है इसलिए सही नीति निर्माण करके एवं विकास कार्यक्रम का क्रियान्वन करके आर्थिक दशा को सुधार करने की जरूरत है। कृषि यंत्रो के आभाव को दूर कर पर्याप्त कृषि यंत्र, उन्नत कोटि की बीज, बीज की कम दर, उर्वरक की उपलब्धता से कृषि को बढ़ावा दे कर आदिवासियों के पलायन को सुधारा जा सकता है एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।

VIII. निष्कर्ष:

विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वित्तियक तथ्यों से यह समीक्षा की गई है कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रवास अधिक है जहाँ आदिवासी लम्बे समय से गरीब हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य यह निकला है कि स्थायी प्रवास के अपेक्षा कम, रोजगार के लिए अस्थायी प्रवास अधिक है। पलायन के यदि नकारात्मक एवं सकारात्मक परिणामों का विश्लेषण करते हैं तो नकारात्मक परिणाम के साथ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है। इस प्रकार पलायन हमारे दृष्टिकोण से बुरा नही है यह सिर्फ राजनीतिक समीकरण के कारण बुरा कहा जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि आदिवासी पलायन छत्तीसगढ़ राज्य के न केवल भूमिहीन मजदूरों वरन लघु, सीमांत कृषकों की मत्वपूर्ण प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है जिसके प्रमुख कारणों में भौगोलिक व सामाजिक कारकों की तुलना में आर्थिक कारकों की महत्पूर्ण भूमिका होती है। जिसमें निर्धनता, बेरोजगारी तथा मूल स्थान में प्रचलित मजदूरी की अतिन्युन दर, नक्सलवाद आदि महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में राज्य के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि श्रमशक्ति के एक बड़े भाग को पलायन से रोकने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे, जिसमें कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ रोजगार के अधिकाधिक अवसरों की बेहतर उपलब्धता, बेहतर मजदूरी के साथ करनी होगी, आदिवासी पलायन की दर में कमी लायी जा सकती है एवं उनका विकास किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में वामपंथी, चरमपंथी, समूहों जिन्हें आमतौर पर माओवादी कहा जाता है। पिछले कई दशकों के दौरान विद्रोही गतिविधियों में उल्लेखनीय है जिससे लोग सरकार और इनके बीच में फंसे होते हैं। इस प्रकार यह शोध पत्र आदिवासियों के पलायन का मुख्य कारण एवं परिणाम का वर्णन करता है।

सन्दर्भ सूची:

[1] Singh, A. K. Status of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in India: Special Reference to the State of Chhattisgarh.

[2] Kasi, E., & Saha, A. (2021). Pushed to the margins: The crisis among tribal youth in India during COVID-19. *Critical Sociology, 47*(4-5), 641-655.

[3] Behera, J. B. (2019). Migration of tribals and their settlement: A study in Dindori district of Madhya Pradesh.

[4] Lone, P. A., & Rather, N. A. (2012). Internal migration of Chhattisgarh: socio-economic aspect. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM, 4*(3).

[5] Shram. (2022). Displaced from habitat: Tribals of Chhattisgarh. Retrieved from https://www.shram.org/blogs/?p=301 on 25/06/2022.

[6] Censusindia. (2022). Census tables. Retrieved from www.censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables# on 27/06/2022.

[7] Ministry Of Tribal Affairs, Government of India. (2022). Tribal livelihood migration in india. Retrieved from https://shramshakti.tribal.gov.in/Docs/Tribal% 20Migartion%20Study-%20Full%20Report%202020%20(wecompress.com).pdf on 22/06/2022.

[8] NITI Aayog. (2022). National portal of india. Retrieved from https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/reports/sereport/ser/ser_mig.pdf on 26/06/2022.

[9] The times of india. (2022). Migration of bastar tribals to other states rocks chhattisgarh assembly. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/Migration-of-Bastar-tribals-to-other-states-rocks-Chhattisgarh-Assembly/articleshow/51322437.cms on 15/06/2022.